(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

सार्वजनिक सूचना सं. 32/2023
नई दिल्ली, दिनांकः– 9 अक्तूबर, 2023

**विषयः स्तर धारक प्रमाणपत्र (ई–एसएचसी) को निर्यातक द्वारा किसी भी आवेदन करने की आवश्यकता के बिना स्वचालित प्रणाली के आधार पर जारी करने संबंध में।**

**सा.आ.(अ):** समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 1.04 (घ) में यथा परिकल्पित डीजीएफटी की ई–गवर्नेंस पहल को आगे बढ़ाते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

| पैरा सं. | मौजूदा पैरा का विषय | संशोधित पैरा का विषय |
|---|---|---|
| 1.08<br><br>स्तर धारकः स्तर प्रमाणपत्र देने के लिए आवेदन | (क) निर्यातकों को निर्धारित दस्तावेजों के साथ एएनएफ 1ख में नीति के तहत स्तर की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।<br><br>(ख) स्तर प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन परिशिष्ट 1क के अनुसार कंपनी के मामले में पंजीकृत कार्यालय के स्थान और अन्य के मामले में प्रधान कार्यालय द्वारा यथा निर्धारित क्षेत्राधिकार प्राप्त आरए के पास प्रस्तुत किया जाएगा। | **(क) व्यापार सुविधा के हित में निर्यातक द्वारा कोई भी आवेदन करने की आवश्यकता के बिना डीजीसीआईएंडएस के पास उपलब्ध व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात डेटा पर आधारित सिस्टम जेनेरेटेड इलेक्ट्रॉनिक स्तर धारक प्रमाणन को मान्यता देना और उसको प्रदान करना हमारा प्रयास है।**<br><br>(ख) **जहाँ भी आवश्यकता हो निर्यातक सीए प्रमाणपत्र के** साथ एएनएफ 1 ख में नीति के तहत स्तर के **उन्नयन के साथ–साथ मान्यता** के लिए **ऑनलाइन आवेदन** भी कर सकते हैं। स्तर प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन परिशिष्ट 1क के अनुसार कंपनी के मामले में पंजीकृत कार्यालय के स्थान और अन्य के मामले में प्रधान कार्यालय द्वारा यथा निर्धारित **डीजीएफटी** के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्राप्त कार्यालयों (आरए) के पास प्रस्तुत किया जाएगा। |

सं. सारंगी

**इस अधिसूचना का प्रभावः** स्तर धारक प्रमाणपत्र डीजीसीआईएंडएस डेटाबेस में उपलब्ध निर्यात डेटा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक रुप से जेनरेट किया जा रहा है जिसमें ज्यादातर मामलों में आवेदक को किसी भी प्रकार का आवेदन करने की आवश्यकता नहीं हैं। इससे निर्यात प्रमाणन के लिए आवेदन प्रक्रिया और फाइल जांच को समाप्त करके और सरकार के भीतर उपलब्ध मौजूदा डेटा घटकों के उपयोग द्वारा व्यापार करने में सुगमता होगी।

संतोष कुमार सारंगी 9.10.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/61/180/086/एएम24/पीसी–3 से जारी)